न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 426/2017 राजस्व वाद

1. श्रीमति रूकमण पुत्री स्व0 श्री रेखानाथ (जोगेसर) पत्नी श्री रत्तुनाथ आयु 45 वर्ष निवारी– फाकोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल निवारी– नान्दवा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्रीमति कंकू पुत्री स्व0 श्री रेखानाथ (जोगेसर) पत्नी श्री रूपनाथ आयु 40 वर्ष निवारी– फाकोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल निवारी– चावण्ड खेड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)

—— वादीगण

बनाम

4. वालू पुत्र स्व0 श्री रेखा जोगेश्वर आयु वयस्क निवासी– फाकोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. नारायण पुत्र स्व0 श्री रेखा जोगेश्वर आयु वयस्क निवासी– फाकोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. भैरू पुत्र स्व0 श्री गोपी जोगेसर आयु नावालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती सोसी पत्नी श्री गोपी जोगेसर आयु वयस्क निवासी– फाकोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. श्रीमती सोसी पत्नी श्री गोपी जोगेसर आयु वयस्क निवासी– फाकोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. भीलवाड़ा अजमेर क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादीगण अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 11.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि **शून्य** को दी जायें।

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर वादी को सरहद फाकोलिया पटवार क्षैत्र चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा की खतोनी नम्बर 134 एक सौ चौतीस मे निम्न वर्णित आराजी नम्बर 239, 240, 241, 242,243,244, 245,246,247,248, 318,336,351 कुल किता 13 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा भूमि मे वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के साथ खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व उक्त भूमि वादीया संख्या 01 को 1/5 हक हिस्सा, वादीया संख्या 02 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/5 हक

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़

हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 एवं 04 का 1/5 हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम दर्ज करायी जावे व राजस्व नक्शे मे कब्जे अनुसार तरमीम करायी जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व रेकार्ड मे अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगे।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिकी आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 426/2017 राजस्व वाद

01. श्रीमति रूकमण पुत्री स्व0 श्री रेखानाथ (जोगेसर) पत्नी श्री रत्नुनाथ आयु 45 वर्ष निवासी- फाकोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल निवासी- नान्दवा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
02. श्रीमति कंकू पुत्री स्व0 श्री रेखानाथ (जोगेसर) पत्नी श्री रूपनाथ आयु 40 वर्ष निवासी- फाकोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल निवासी- चावण्ड खेड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0) -- वादीगण

वनाम

01. बालू पुत्र स्व0 श्री रेखा जोगेश्वर आयु वयस्क निवासी- फाकोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. नारायण पुत्र स्व0 श्री रेखा जोगेश्वर आयु वयस्क निवासी- फाकोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. भैरू पुत्र स्व0 श्री गोपी जोगेसर आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती सोसी पत्नी श्री गोपी जोगेसर आयु वयस्क निवासी- फाकोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. श्रीमती सोसी पत्नी श्री गोपी जोगेसर आयु वयस्क निवासी- फाकोलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. भीलवाड़ा अजमेर क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक
06. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

-- प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा- 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-
1. श्री मुकेश कुमार जैन -अधिवक्ता वादीगण
2. एकपक्षीय- -- प्रतिवादी संख्या 01 से 06
3. पेरोकार सरकार -प्रतिवादी संख्या 07

:: निर्णय :: दिनांक- 11.08.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार के परिवार का पारिवारिक सजरा वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित है। जिसके अनुसार रेखा जी के 2 पुत्रीया रूकमण व कंकू व 3 पुत्र गोपी, बालू व नारायण पैदा हुए है, जिसमे गोपी का देहान्त हो चुका है, जिसके पुत्र भेरू प्रतिवादी संख्या 03 व पत्नी सोसी प्रतिवादी संख्या 04 है। अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 सगे भाई बहिन होकर रेखा जी के पुत्रीया पुत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 03 रेखा जी का पोत्र व प्रतिवादी संख्या 04 पुत्रवधु होकर रेखा जी के वंशज

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

ोकर विधिक वारीस एवं उत्तराधिकारी है। रेखा जी का देहान्त हो चुका है। सरहद फाकोलिया ट्वार क्षैत्र चिताम्बा भू अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ तहसील माण्डल जिला भीलवाडा की खतोनी म्बर 134 एक सौ चौतीस मे निम्न वर्णित आराजी नम्बर 239, 240, 241, 242,243,244, 45,246,247,248, 318,336,351 कुल किता 13 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा स्थित है। वादपत्र की रण संख्या 02 दो मे वर्णित आराजियात के साबिक नम्बर कमशः 25/1 मी, 26, 25/1 मी, 25/1 ी, 25/3, 25/2, 27,6/2,28 मी, 28 मी, 29 मी, 29 मी, 191/1, 202 मी, 209 जो कि राजस्व कार्ड मे वादीगण के पिता रेखा वल्द गेना के नाम पर दर्ज रेकार्ड है, जिसकी मिलानशीट व पर्चा वतोनी व जमाबंदी संवत 2009–2012 की प्रति हमराह वाद पेश है। वादपत्र की चरण संख्या 02 दो वर्णित आराजियात वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार के नाम पर र्ज है। उक्त वर्णित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 के पिता एवं प्रतिवादी ंख्या 03 के दादाजी व प्रतिवादी संख्या 04 के श्वसुर रेखा जी की होकर वादीगण की पैतृक ाराजियात है व वादीगण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होकर वादीगण का उक्त भूमि मे न्म से हक हिस्सा निहित है। जिसमे वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित पारीवारिक सजरे नुसार वादीया संख्या 01 का 1/5 एक/पांच हक हिस्सा, वादीया संख्या 02 दो का 1/5 क/पांच हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 एक का 1/5 एक/पांच हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 दो का 1/5 एक/पाच हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 03 एवं 04 चार का 1/5 एक/पांच क हिस्सा निहित है। उक्त आराजियात वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार की तृक आराजियात है। जिसमे वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है । वादपत्र की चरण ख्या 02 दो मे वर्णित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार की पैतृक ाराजियात है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार संयुक्त रूप से ाबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है । दिनांक 10 दस फरवरी 2012 दो जार बारह को प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार मौके पर आये व वादीगण को जबरन दखल करने का प्रयास किया; इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा कि उक्त आराजियात दीगण के पिता रेखा जी की होकर, वादीगण की पैतृक होकर वादीगण का जन्म से हक हिस्सा हित है , जिसे बेदखल करने का कोई अधिकार नही है, इस पर प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत चार ने वादीगण को कहा कि रेखा जी के देहान्त उपरान्त प्रतिवादीगण ने वादीगण जो कि रेखा ी की जायन्दा पुत्री होकर वारीस होने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगत कर दीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने दिया व सम्पूर्ण आराजियात को अपने नाम पर र्ज करवा ली। इस कारण वादीगण को विवादित आराजियात से जबरन बेदखल करके रहेगे व राजियात को किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द करके ही रहेगे। जबकि प्रतिवादी ख्या 01 एक लगायत 04 चार को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। यदि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 चार वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर ी व उक्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगे तो दीगण को अपूरणीय क्षति होगी व वादीगण अपनी पैतृक आराजियात से वंचित हो जायेगी। सकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस कारण से वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि विवादी संख्या 01 लगायत 04 चार वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर खल नही करे और नही किसी अन्य से करावे तथा वादीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे सी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे। दपत्र की चरण संख्या 02 दो मे वर्णित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत चार की पैतृक आराजियात है , जिसमे वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है तथा दीगण का वादपत्र की चरण संख्या 02 दो मे वर्णित आराजियात मे प्रत्येक वादीया का 1/5,1/5 हिस्सा होकर कुल 2/5 हक हिस्सा निहित है और वादीगण राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी करेड़
सहायक कलक्टर करेड़

01 एक लगायत 04 चार के साथ साथ अपना नाम अंकन कराने व खातेदार काश्तकार घोषित होने की अधिकारीणी है . तदनुसार घोषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा वाद मे वर्णितानुसार दस्तावेजात प्रदर्शित किये गये।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी व वादीगण के अधिवक्ता द्वारा वाद मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए उक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी होने से वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादीगण की पुश्तैनी कृषि आराजियात साबित होना व वादीगण का हक हिस्सा निहित होना वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होना साबित है। अतः वादीगण को सरहद फाकोलिया पटवार क्षैत्र चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा की खतोनी नम्बर 134 एक सौ चौतीस मे निम्न वर्णित आराजी नम्बर 239, 240, 241, 242,243,244, 245,246,247,248, 318,336,351 कुल किता 13 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा मे वादीगण प्रत्येक को 1/5, 1/5 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर वादी को सरहद फाकोलिया पटवार क्षैत्र चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा की खतोनी नम्बर 134 एक सौ चौतीस मे निम्न वर्णित आराजी नम्बर 239, 240, 241, 242,243,244, 245,246,247,248, 318,336,351 कुल किता 13 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा भूमि मे वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त भूमि वादीया संख्या 01 को 1/5 हक हिस्सा, वादीया संख्या 02 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 एवं 04 का 1/5 हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम दर्ज करायी जावे व राजस्व नक्शे मे कब्जे अनुसार तरमीम करायी जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चितता की जावें। उक्तानुसार डिकी जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)